न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 80/2025

अनवान :

दारासिंह पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा।
2. शिशपाल पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा।
3. मीरां पुत्री मोहरसिंह पत्नी बेगराज जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा हाल धीरवास बड़ा तहसील साहवा।
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण: **वादी**

वकील श्री श्रवण सहारण द्वितिय : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय

दिनांक : 07.07.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 54/60 के ख0सं0 129, 155, 193, 2/2 कुल खसरा 4 की 9.460 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 है0 तथा रोही मौजा नुवां के खाता संख्या 103/109 के खसरा संख्या 402 की कुल 5.754 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह को उक्त वादभूमि अपने पिता सुरजाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण के नाम दर्ज वादभूमि में अपने खातेदारी हकों की घोषणा करवाने बाबत वाद पेश किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनाम पेश किया गया। प्रतिवादी सख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में दारासिंह पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड [illegible] प्रदर्श 1ए. वारिसान हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा कुंजी [illegible] संवत 2075-78 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा नुवा खाता संख्या 103/109 [illegible] पैतृक जमाबंदी रोही मौजा नुवा संवत 2052-55 प्रदर्श 5, पैतृक जमाबंदी रोही मौजा कुंजी संवत 2051-54 [illegible] प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कुंजी व नुंवा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 54/60 के ख0सं0 129, 155, 193, 2/2 कुल खसरा 4 की 9.460 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा नुवां के खाता संख्या 103/109 के खसरा संख्या 402 की कुल 5.754 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित जावें। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 54/60 के ख0सं0 129, 155, 193, 2/2 कुल खसरा 4 की 9.460 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा नुवां के खाता संख्या 103/109 के खसरा संख्या 402 की कुल 5.754 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी दारासिंह व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 शिशपाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 80/2025

अनवान : दारासिंह पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा।
2. शिशपाल पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा।
3. मीरां पुत्री मोहरसिंह पत्नी बेगराज जाति मेघवाल निवासी कुंजी तहसील भादरा हाल धीरवास बड़ा तहसील साहवा।
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितिय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं0 54/60 के ख0सं0 129, 155, 193, 2/2 कुल खसरा 4 की 9.460 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा नुवां के खाता संख्या 103/109 के खसरा संख्या 402 की कुल 5.754 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी दारासिंह व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 शिशपाल को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner